<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>04.06.2026</u>

ईडी ने 970 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से अर्जित आय से संबंधित म्यांमार सुपारी तस्करी एवं धन शोधन मामले में चम्फाई, मिजोरम में स्थित 9 परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आइजोल उप-आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17(1) के तहत दिनांक 04.06.2026 को चम्फाई, मिजोरम में स्थित 9 परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया। उक्त तलाशी अभियान श्रीमती लालरेमपरी, श्रीमती लाल्हनेमी (स्वामित्वधारक, मेसर्स रेम रेम एंड बेकी स्टोर), सांगनेइहवेला (स्वामित्वधारक, मेसर्स एसएनवी स्टोर), थांगखानमुंगा (स्वामित्वधारक, मेसर्स सीएस स्टोर), रोथुआमलुइया (स्वामित्वधारक, मेसर्स एनएस एंटरप्राइजेज), लालरेम्माविया (स्वामित्वधारक, मेसर्स एस एंड आर हार्डवेयर स्टोर), लालदुआ (स्वामित्वधारक, मेसर्स जेएच फैमिली एंटरप्राइज), जोनुनसांगा (स्वामित्वधारक, मेसर्स मामी स्टोर) तथा श्रीमती जोसांगपुई के आवासीय एवं व्यावसायिक परिसरों पर संचालित किया गया।

ईडी ने चम्फाई, मिजोरम के माध्यम से म्यांमार से भारत में अवैध रूप से आयातित सूखी सुपारी की बड़े पैमाने पर तस्करी से संबंधित रैकेट के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), सीबीआई, इम्फाल द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच प्रारंभ की। उक्त प्राथमिकी जनहित याचिका संख्या 5/2022 में माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में दर्ज की गई थी। अनुसूचित अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 467 एवं 471 के अंतर्गत दंडनीय हैं, जो पीएमएलए, 2002 की अनुसूची के भाग-ए के अंतर्गत अनुसूचित अपराध हैं।

ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि म्यांमार के नागरिकों द्वारा तियू नदी पार कर ज़ोखावथार एवं चम्फाई के माध्यम से बिना सीमा शुल्क निकासी के सूखी सुपारी की भारत में तस्करी की जाती थी और सीमा पर उक्त खेप स्थानीय सुविधा प्रदाताओं को सौंप दी जाती थी। स्थानीय सुविधा प्रदाताओं द्वारा तस्करी की गई सुपारी को चम्फाई स्थित गोदामों में संग्रहित किया जाता था तथा असम-मिजोरम सीमा स्थित वैरेंगटे तक उसके परिवहन का समन्वय किया जाता था। इन गतिविधियों का वित्तपोषण सिलचर (असम) स्थित व्यापारियों एवं वित्तपोषकों द्वारा किया जाता था, जो बैंकिंग माध्यमों से मिजोरम स्थित सुविधा प्रदाताओं के खातों में बड़ी धनराशि प्रेषित करते थे। बर्मा (म्यांमार) स्थित आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाता था और तत्पश्चात सीमा के निकट संचालित मुद्रा विनिमयकर्ताओं के माध्यम से उसे बर्मा (म्यांमार) मुद्रा में परिवर्तित किया जाता था। जांच में यह भी उजागर हुआ कि वर्ष 2021 से 2024 की अवधि के दौरान चम्फाई जिले में सुपारी के परिवहन हेतु 251.19 करोड़ रुपये (एसजीएसटी) तथा 86.25 करोड़ रुपये (सीजीएसटी) के ई-वे बिल धोखाधड़ीपूर्वक जारी किए गए, जिनमें जाली बागान प्रमाणपत्रों एवं जाली सीमा शुल्क निकासी दस्तावेजों का उपयोग किया गया, जबकि संबंधित बागान मालिक जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत नहीं थे।

पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों के दर्ज बयानों से यह स्थापित हुआ कि स्थानीय सुविधा प्रदाताओं को सुपारी की खरीद, परिवहन, एस्कॉर्टिंग तथा सीमा शुल्क निकासी से संबंधित गतिविधियों के लिए 2 रुपये से 15 रुपये प्रति किलोग्राम तक का कमीशन प्राप्त होता था। कार्यप्रणाली का एक प्रमुख तत्व यह था कि जब्त की गई खेपों के अनंतिम निस्तारण प्राप्त करने हेतु सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष स्थानीय व्यक्तियों को मुखौटा दावेदार (फ्रंट क्लेमेंट) के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जिसके लिए प्रत्येक जब्ती के संबंध में सीमा शुल्क निस्तारण कार्यवाही हेतु 20 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये से अधिक तक का भुगतान किया जाता था। कई जब्ती मामलों में तस्करी की गई सुपारी को विधिवत आयातित माल के रूप में प्रदर्शित करने के उद्देश्य से सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष असंबद्ध प्रविष्टि बिल (बिल ऑफ एंट्री) धोखाधड़ीपूर्वक प्रस्तुत किए गए। अभियुक्त व्यक्तियों के बैंक खातों के विश्लेषण से यह उजागर हुआ कि वर्ष 2013 से 2025 की अवधि के दौरान 970 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से अर्जित आय को अनेक बैंक खातों के माध्यम से परिचालित किया गया।

तलाशी अभियान के दौरान पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत अपराध संकेती दस्तावेज, जिनमें अभियुक्त व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर धारित अचल संपत्तियों से संबंधित स्वामित्व विलेख एवं संपत्ति संबंधी दस्तावेज, व्यावसायिक अभिलेख तथा मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं, जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।